संख्या-61 /2021/607/71-3-2021-

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक, 07 मई, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में बी0एस0एल0-2 लैब में आरटीपीसीआर जॉचों में वृद्धि हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एफजैडडी/2021/238, दिनांक 17.04.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में बी0एस0एल0-2 लैब में आरटीपीसीआर जॉचों में वृद्धि हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद में बी0एस0एल0-2 लैब में आरटीपीसीआर जॉचों में वृद्धि हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची (संलग्नक के अनुसार) अनुमोदित करते हेतु शासनादेश संख्या-39/2020/668/71-3-2020-61/2018टीसी, दिनांक 30.06.2020 द्वारा अवशेष धनराशि रू0 84.57 लाख **(रू0 चौरासी लाख सत्तावन हजार मात्र)** से क्रय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. उक्त उपकरणों का क्रय आपके पत्र दिनांक 17.04.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-558/71-2-2021-698/2020 टीसी, दिनांक 15.04.2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।
3. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
4. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
5. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं उपकरणों का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें की पूर्ति कर ली जाए।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
8. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
9. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-4090/71-1-2017-जी-243/2017, दिनांक 29.12.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
13. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रकिया के अनुसार विहित प्रकिया का पालन करते हुए उपयोगी उपकरण क्रय किया जायेगा। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व ऑडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।
14. शासनादेश संख्या-39/2020/668/71-3-2020-61/2018टीसी, दिनांक 30.06.2020 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-61/2021/607(1)/71-3-2021, तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-61/2021/607/71-3-2021-, दिनांक 07 मई, 2021 का संलग्नक।

S. No	PARTICULARS	QTY	Rate	Total	क्रय का आधार
1	2	3	4	5	6
1.	Real Time PCR Machine (96 well) **Make :-** Thermo Scientific	01	2678600.00	2678600.00	संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के आपूर्ति आदेश संख्या– GEMC-511687770346913 Dt. 12-03-2021 के आधार पर क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।
2.	Automated Nucleic acid Extraction Machine (96 Well) **Make :-** Thermo Scientific	01	3480000.00	3480000.00	संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के आपूर्ति आदेश संख्या– GEMC-51168771067963 Dt. 11-03-2021 के आधार पर क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।
3.	Deep Freezer -80^0 (450-500 L) **Make :-** Thermo Scientific	01	535035.60	535035.60	संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के आपूर्ति आदेश संख्या– PGI/MM/COVID-19/19-20/14/37010 Dt. 30-05-2020 के आधार पर क्रय किया जाना प्रस्तावित है।
4.	Refrigerated Table Top centrifuge **Make :-** Thermo Scientific	01	587451.20	587451.20	संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के आपूर्ति आदेश संख्या– PGI/MM/Immuno/R/2019-20/02/36010 Dt. 28-05-2019 के आधार पर क्रय किया जाना प्रस्तावित है।
Grand Total (Rs. Seventy Two Lac Eighty One Thousand Eighty Seven Only)				**7281087.00**	

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।